(b) if so, whether Government propose to establish more Regional Cancer Centres in Maharashtra particularly at Nagpur; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (c) Tata Memorial Hospital, Mumbai is a Regional Cancer Centre which provides comprehensive facilities for diagnosis and treatment of cancer patients. Besides, radio-therapy facilities for treatment of cancer are available in 15 other institutions in Maharashtra. Out of these two institutions are in Nagpur. There is no proposal at—present to recognise another institution as Regional Cancer Centre in the State.

Molestation of NRI girl by Air India official on Mumbai bound flight

3574. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Air India official on Mumbai bound flight AI-112 from London molested a teenager Non-Resident Indian girl on board;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken against the Air India official for his indecent action defaming the airlines and also to ensure high standards of morality and discipline among the AI personnel?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) An Air India employee while on leave and travelling on AI-112 flight of 6th July, 1996, molested a girl on board the same flight. He has been dismissed from service from 6th August, 1996.

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की विभिन्न न्यायपीठों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3575. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर की न्यायपीठों में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त न्यायपीठों में इस समय कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) से (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 26 स्थायी न्यायाधीश और 8 अपर न्यायाधीश की स्वीकृत पद संख्या है। 1-9-1996 को भरे जाने वाले स्थायी न्यायाधीशों की 4 और अपर न्यायाधीशों के 2 रिक्तियों को छोड़कर, 22 स्थायी न्यायाधीश और 6 अपर न्यायाधीश पदासीन हैं। ये पद न्यायाधीशों की समय-समय पर सेवानिवृत्ति और स्थानान्तरण के कारण रिक्त हुए।

राष्ट्रपतीय अधिसूचना के अनुसार, चार न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करें, इन्दौर में आसीन होंगे और दो न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करे, ग्वालियर में आसीन होंगे।

मध्य प्रदेश रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 न्यायाधीश जबलपुर में, 8 न्यायाधीश इन्दौर में और 6 न्यायाधीश ग्वालियर में आसीन हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया जारी है। यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

Denial of Government order to the Hindustan Latex

3576. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Latex is facing a threat of closure due to the